



Neutral Citation No. -2026:AHC:54017

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2509 / 2026

यूसुफ और अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रधान सचिव (गृह) के माध्यम से एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

अतुल कुमार

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह की दलीलें सुनीं और पत्रावली का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन पुलिस थाना सिविल लाइन, जिला मुजफ्फरनगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 291/2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 351(3) के तहत में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन पर पारित आदेश के आधार पर दर्ज की गई है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, अपीलार्थीगण पर यह आरोप है कि उन्होंने सिविल न्यायालय में अपीलार्थीगण और प्रथम सूचक के बीच चल रहे एक सिविल मुकदमे में कुछ जाली दस्तावेज़ पेश किए थे। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि उक्त सिविल न्यायालय ने अभी तक उन दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता पर कोई निर्णय नहीं दिया है। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जब भी जांच संस्था या न्यायालय द्वारा उन्हें बुलाया जाएगा, वे उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि अपीलार्थीगण को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, अपीलार्थीगण पर यह आरोप है कि उन्होंने सिविल न्यायालय में अपीलार्थीगण और प्रथम सूचक के बीच चल रहे एक सिविल मुकदमे में कुछ जाली दस्तावेज़ पेश किए हैं, हालाँकि सिविल न्यायालय ने अभी तक उन दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता पर कोई निर्णय नहीं दिया है। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अग्रिम ज़मानत पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए; साथ ही, न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी संज्ञान में लेना चाहिए।

7. प्रस्तुत मामले में, अग्रिम ज़मानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, अपीलार्थीगण की भूमिका तथा मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम ज़मानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम ज़मानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. यदि उपरोक्त मामले में शामिल अपीलार्थीगण - यूसुफ और श्रीमती शकीला को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने होंगे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा :-

(i) अपीलार्थी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हें छूट न दी गई हो;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को उजागर करने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएँगे।

10. यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष को अपीलार्थीगण को दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द करवाने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17 मार्च, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"